मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की 93 वीं बोर्ड बैठक
दिनांक 09.05.2018 की कार्यवाही

आज दिनांक 09.05.2018 को मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की 93 वीं बोर्ड बैठक प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री दिलीप जावलकर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें निम्नानसुार सदस्यों एवं अधिकारियों द्वारा भाग लिया गयाः–

उपस्थितिः–

1	श्री दिलीप जावलकर, आयुक्त, गढ़वाल मण्डल,	अध्यक्ष
2.	श्री एस0ए0मुरूगेशन, जिलाधिकारी देहरादून	सदस्य
3	डॉ आशीष कुमार श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण / सचिव, आवास उत्तराखण्ड शासन	उपाध्यक्ष
4.	श्री सुनील श्री पांथरी, अपर सचिव आवास, प्रतिनिधि	सदस्य
5.	श्री अर्जुन सिंह, अपर सचिव, वित्त	सदस्य
6.	श्री पी0सी0 दुम्का, सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,	सदस्य
7	श्रीमती सोनिया पंत उपनगर आयुक्त , नगर निगम, देहरादून।	सदस्य
8	श्री एस0के0पन्त, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग	सदस्य
9	श्री एस0के0विश्वास, अधीक्षण अभियंता, जल निगम, देहरादून।	सदस्य

अन्य उपस्थितिः–

1 श्री शैलेन्द्र सिंह नेगी, संयुक्त सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण।
2 श्री एच0एस0बोनाल, मुख्य लेखाधिकारी, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण।
3. श्रीमती गीता खुल्बे, नगर नियोजक, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
4 श्री अनिल त्यागी, अधीक्षण अभियंता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
5 श्री एस0सी0जैन, अधिशासी अभियंता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

सर्वप्रथम सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया। गया। प्राधिकरण की 82वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया एवं 93 वी बोर्ड बैठक के एजेण्डा बिन्दु को पढ़ने हेतु अनुमति प्रदान की गयीः–

विषय कमांक 1 :– <u>वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्यय का अनुमानित प्रस्ताव</u>

प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त वित्तीय वर्ष 2018–19 के प्रस्तावित बजट पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय कमांक 2 :– **शमन शुल्क के अवस्थापना निधि में प्रतिशत परिवर्तन के सम्बन्ध में।**

प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शमन शुल्क से प्राप्त आय का 85 प्रतिशत अवस्थापना अंश एवं 15 प्रतिशत अंश प्राधिकरण में हस्तान्तरित किया जाये तथा प्राधिकरण अंश में किसी परियोजना विशेष के कारण 15 प्रतिशत से अधिक की आवश्यकता हो तो इस हेतु विशेष अनुमति पृथक से प्राप्त कर ली जाये।

विषय कमांक 3 :– **मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की आई0एस0बी0टी0, एच0आई0जी0 ट्रॉसपोर्टनगर फेस–2 एल0आई0जी0 एवं आलायम आवासीय योजना में एच0आई0जी0, एम0आई0जी, स्टूड़ियो अपार्टमेन्ट, तथा एल0आई0जी0 फ्लैटों के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि एक मुश्त जमा किये जाने पर 2 प्रतिशत छूट के अतिरिक्त महिलाओं, सीनियर सीटीजन एवं दिंव्यागों के लिये 1 प्रतिशत अतिरिक्त छूट दिये जाने के संबध में।**

प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आई0एस0बी0टी0, एच0आई0जी0, ट्रान्सपोर्ट नगर एम0आई0जी0, एल0आई0जी0 तथा आलयम आवासीय योजना में एच0आई0जी0, एम0आई0जी, स्टूड़ियो अपार्टमेन्ट, तथा एल0आई0जी0 फलैट्स में एक मुश्त धनराशि जमा करने पर 2 प्रतिशत की छूट जारी रखी जाये एवं यदि कोई महिला, सीनियर सिटीजन एवं दिव्यांग इस हेतु कोई आवेदन करे तो उनको 01 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाये। यदि ऐसे अभ्यर्थी एक मुश्त धनराशि जमा करता है तो उनके पूर्ववत् 2 प्रतिशत की छूट प्रदान करने के उपरान्त अवशेष देय धनराशि पर 01 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाये।

विषय कमांक 4 :– मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की आई0एस0बी0टी0, एच0आई0जी0 ट्रॉसपोर्टनगर फेस–2 एल0आई0जी0 एवं आलायम आवासीय योजना में एच0आई0जी0, एम0आई0जी, स्टूड़ियो अपार्टमेन्ट, तथा एल0आई0जी0 फ्लैटों के सापेक्ष विपणन हेतु कमीशन दिये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त निर्णय लिया गया कि पायलट प्रोजैक्ट के रूप में सर्वप्रथम प्राधिकरण के एच0आई0जी0 फलैट्स में 01 प्रतिशत अधिकतम कमीशन के साथ एजेन्ट/विपणन एजेन्सी के माध्यम से विक्रय किया जाये। यह कमीशन तभी देय होगा जब न्यूनतम 10 ईकाईयो को विकय करने उपरान्त फ्लैट का पूर्ण भुगतान प्राधिरकण में जमा कर दिया जाये। यह भी निर्देशित किया गया सम्बन्धित एजेन्ट का रेरा में पंजीकरण हो यह भी निर्देशित किया गया कि जो भी अभ्यर्थी प्राधिकरण में सीधे फ्लैट हेतु आवेदन करते है तो उनको प्राधिकरण द्वारा पूर्व व्यवस्था के अनुरूप सीधे आवंटन किया जाये।

विषय कमांक 5 :– प्राधिकरण के लिए 01 बुलेरो वाहन, 01 महिन्द्रा टी0यू0वी0 वाहन तथा 01 ट्रैक्टर क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय कमांक 6 :– प्राधिकरण के विकास कार्यो के आगणन में विचलन के संबन्ध में।

बोर्ड अवगत हुआ एवं भुगतान हेतु इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमति प्रदान की गयी कि भविष्य में विचलन से बचा जाये। अपरिहार्य परिरिस्थतियों में यदि विचलन आवश्यक हो तो सुसंगत शासनादेश एवं अधिप्राप्ति नियमावली का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

विषय कमांक 7 :– श्री संजीव जैन अधीक्षण अभियन्ता (प्रतिनियुक्ति) के वेतन आहरण विषयक।

प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित कर दिया जाये एवं स्वीकृति की प्रत्याशा में अधीक्षण अभियंता के रूप में वेतन आहरित किया जाये।

विषय क्रमांक 8 :– ट्रांसपोर्ट नगर फेज–2, आवासीय योजना में निर्मित एल0आई0जी0 के 144 फ्लैटों आलायम आवासीय योजना में निर्माणाधीन 80 एल0आई0जी फ्लैटों को "पहले आओ पहले पाओ" प्रक्रिया के अर्न्तगत विक्री एवं आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम 10 लाख तक की वार्षिक आय सीमा तक के अभ्यर्थियो की एल0आई0जी0 फ्लैट के लाट्री के माध्यम से आवंटन पर विचार कर लिया जाये और यदि इसके उपरान्त भी फ्लैट अवेशष बचते है तो पहले आओ पहले पायो पर आधार पर आवंटन/विक्रय की कार्यवाही की जाये।

विषय क्रमांक 9 :– जोनल डेवलपमेंट प्लान तैयार कराये जाने के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय क्रमांक 10 :– तरला नागल, सहस्त्रधारा (हैलीपैड के समीप) में प्रस्तावित सिटी पार्क के निर्माण के सम्बन्ध में।

बोर्ड अवगत हुआ एवं सिटी पार्क के निर्माण पर स्वीकृति प्रदान की गयी।

विषय क्रमांक 11 :– मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व में निर्मित एवं वर्तमान में रखरखाव किये जा रहे शहर के अन्तर्गत विभिन्न स्थलों के 81 पार्को को संबंधित आवासीय समितियों को हस्तान्तरित किये जाने के प्रस्ताव को परिचालन से स्वीकृति को बोर्ड के संज्ञानार्थ रखे जाने के संबंध में।

बोर्ड अवगत हुआ एवं विभिन्न स्थलों के 81 पार्को को संबंधित आवासीय समितियों को हस्तान्तरित किये जाने सम्बन्धी विचलन द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देष दिये गये।

विषय क्रमांक 12 :–श्रीमती उषा शुक्ला, I.A.S.(से0नि0) द्वारा प्राधिकरण की नवयुग एन्क्लेव, इन्दिरापुरम योजना के अन्तर्गत भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित ले–आउट का परीक्षण मानको के अनुरूप करते हुए विस्तृत रिपोर्ट आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत की जाये।

विषय कमांक 13 :– भवनो की छत पर बारिश के कारण आने वाली लीकेज को बचाने के लिये छत पर टिन शेड निर्मित करने हेतु छूट दिये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि अधिकतम अनुमन्य ऊॅचाई की सीमा के अन्तर्गत शेड का निर्माण चारो ओर किसी भी रूप में कवर न किये जाने की दशा में भवनो के उपर टीन शेड का निर्माण जो मध्य में 2.40 मीटर व किनारो पर 1.20 मीटर तक की ऊचाई को एफ0ए0आर0 की गणना से मुक्त करते हुए प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित कर दिया जाये।

विषय कमांक 14 :–मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण क्षेत्र महायोजना के अन्तर्गत नगर निगम में अधिसूचित मलिन बस्तियों को प्राधिकरण क्षेत्र से बाहर किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाये जिसमें अधिशासी अभियंता, वरिष्ठ नगर एवं ग्राम नियोजक एवं नगर आयुक्त द्वारा नामित नगर निगम के अधिकारी सदस्य रहेगे एवं उक्त कमेटी शिथलीकरण के सम्बन्ध में यथोचित प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करेगी। तदानुसार प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

विषय कमांक 15 :– ग्राम धौलास स्थित 15959.58 वर्गमीटर भूमि का निःशुल्क भू– उपयोग परिवर्तन एवं उक्त भूमि पर ई0डब्ल्यू0एस0 तथा एम0आई0जी0 इकाईयों के निर्माण के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त बोर्ड द्वारा परियोजना के निर्माण पर सहमति प्रदान की जाये।

विषय कमांक 16 :– मानचित्र संख्या एससी–0033/17–18 में सड़क की विद्यमान चौड़ाई एवं पार्किंग में शिथिलता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि आवेदक द्वारा पार्किंग की व्यवस्था किये जाने की दशा में शिथलीकरण का प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित कर दिया जाये।

विषय क्रमांक 17, 18 ,20, 21 एवं अनुपूरक विषय क्रमांक 01 व 02 :– विभिन्न वैडिंग प्वाईन्टस् के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि विषय क्रमांक 17,18,20,21 एवं अनुपूरक विषय क्रमांक 01 व 02 पर आवासीय क्षेत्रान्तर्गत वैडिंग प्वाइंट के निर्माण के सम्बन्ध में विगत बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किया गया है तथा शासन से इस सम्बन्ध में दिशा निर्देश प्राप्त होने तक आवासीय क्षेत्र में वैडिंग प्वाइंट अनुमन्य न किये जाये। यह भी निर्णय लिया गया कि एकल आवासीय भवनो को छोड़कर अन्य समस्त निर्माणो पर महायोजना में प्रस्तावित मार्ग की चौड़ाई को अधिकृत न्यूनतम चौडाई मानकर भवन निर्माण स्वीकृत न किये जाने एवं मार्ग की वास्तविक चौड़ाई के आधार पर गैर एकल आवासीय मानचित्र स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किया जाये।

विषय क्रमांक 19 :– **मानचित्र संख्या सी–258/17–18 श्री विजय चन्देल एवं श्रीमती शकुन चन्देल द्वारा खसरा नम्बर 426 मौजा अजबपुरखुर्द देहरादून पर जिमनैजियम निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मानको के अनुरूप पाये जाने पर मानचित्र की स्वीकृति प्रदान की जाये।

विषय क्रमांक 22 :– **वाद संख्या आर–0510/एस–8/2010 के अर्न्तगत आई0सी0एफ0आर0ई0 आफिसर्स को–आपरेटिव सोसाइटी द्वारा मैत्रीवन कालोनी, ऋषि विहार हरबंसवाला देहरादून में अनाधिकृत रूप से विकसित की गयी कालोनी को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में।**

बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण एवं जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा नामित राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण कर भूमि सम्बन्धी सभी पहलुओ का अध्ययन कर प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

उपाध्यक्ष,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

आयुक्त,
गढ़वाल मण्डल/ अध्यक्ष,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
दे0दून।